150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांकः 10 FEB 2020

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–अन्य राज्यों से स्थानान्तरित होकर राज्य में स्थाई रूप से रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान विविध सेवा नियमों में किया गया है। तत्पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय लेकर आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए किए गए आरक्षण में अचल सम्पति से संबंधित प्रावधान को हटाने हेतु अधिसूचना दिनांक 20.10.19 के द्वारा सेवा नियमों में संशोधन किया गया है।

आर्थिक कमजोर वर्ग को प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा दिशा–निर्देश चाहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों से स्थानान्तरित (Migrate) होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहें है, को उनके स्वयं अथवा उनकी संतानो के उपयोगार्थ उक्त वर्ग का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा अथवा नहीं।

प्रकरण के समुचित परीक्षणोपरान्त इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य राज्यों से स्थानान्तरित होकर राजस्थान राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों को उनके स्वयं अथवा उनकी संतानों के उपयोगार्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र जारी किया जावें, परन्तु इस संबंध में उक्त वर्ग के व्यक्ति, पूर्व में जिस राज्य से उसका संबंध है, अपने पूर्व निवास स्थान में अपनी व अपने परिवार की वार्षिक आय/सम्पत्ति, यदि कोई हो एवं उससे वार्षिक आय के सम्बन्ध में वहां के सक्षम अधिकारी जो उपखण्ड अधिकारी या समकक्ष स्तर का हो (सक्षम अधिकारी कनिष्ठ होने की

स्थिति में स्थानीय उपखण्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा। राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे स्थानान्तरित होकर आये व्यक्ति की पूर्व आय एवं वर्तमान निवास स्थान की आय की संयुक्त रूप से गणना करते हुये नियमानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

13/2020